संख्या-126/2017/2270/22-2-2016-17(58)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशफाक खान उर्फ हग्गन पुत्र श्री बशीर खान, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43967/पर-2/सलाहकार समिति/(एम 13-12-2016) दिनांक 15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 15-12-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशफाक खान उर्फ हग्गन पुत्र श्री बशीर खान, निवासी ग्राम-मेंहदी, थाना-फूलबेहड, जनपद-लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 12-12-1974 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर करतार सिंह एवं गुरूखान की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-ए-83/1975 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 14-10-1976 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13-05-1982 बन्दी की अपील को निरस्त करते हुए सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.11.2016 तक 19 वर्ष 02 माह 07 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 06 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है। क्रिमि0 रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-12-2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-।, लखीमपुर खीरी द्वारा कारागार को उपलब्ध कराये गये अभिमत में कहा गया है उक्त सत्र परीक्षण की पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि इस मामले में दो व्यक्तियों की हत्या हुई है। अत: प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं इस मामले के अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में दोषसिद्ध बन्दी की समयपूर्व रिहाई उचित तथा न्याय संगत नहीं होगी। सलाहकार समिति ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 12-12-1974 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से गोली मारकर करतार सिंह एवं गुरूखान की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता एवं पीठीसीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अशफाक खान उर्फ हग्गन पुत्र श्री बशीर खान, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-22284/2016 में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-09-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी अशफाक खान उर्फ हग्गन पुत्र श्री बशीर खान, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-126/2017/2270/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।